रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01092021-229349
CG-DL-E-01092021-229349

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 496] **नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 1, 2021/भाद्र 10, 1943**
No. 496] **NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 1, 2021/BHADRA 10, 1943**

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 अगस्त, 2021

सा.का.नि. 610(अ).—कैल्शियम कार्बाइड नियम, 1987 में संशोधन करने के लिए प्रारूप नियम, पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 (1934 का 30) की धारा 29 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड-3, उप-खण्ड (i) अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 259(अ) तारीख 26 मार्च, 2021 में प्रकाशित किया गया था जिसमें उन सभी व्यक्तियों से जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से जिसको उक्त अधिसूचना जनता को उपलब्ध करा दी गई थी के तीस दिन की अवधि के समाप्त होने से पहले आक्षेप या सुझाव मांगे गए थे;

और उक्त अधिसूचना, तारीख 26 मार्च, 2021 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थी;

और उक्त प्रारूप नियमों पर जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा सम्यक विचार किया गया;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 (1934 का 30) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कैल्शियम कार्बाइड नियम, 1987 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.–**(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कैल्शियम कार्बाइड (संशोधन) नियम, 2021 है।

(2) ये राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे।

2. कैल्शियम कार्बाइड नियम, 1987 (जिसे इसमें इसके आगे से उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 31 के, उप-नियम (1) में, “अधिक से अधिक 3 वर्ष” शब्दों के स्थान पर “अधिक से अधिक 10 वर्ष” शब्द रखें जाएंगे।

3. उक्त नियम में, नियम 34 के, उप-नियम (1) (ख) में, “10 रु. संवीक्षा फीस” शब्दों और अंको के स्थान पर “100 रु. संवीक्षा फीस” शब्द और अंक रखें जाएंगे।

4. उक्त नियम में, नियम 35 के, उप-नियम (2) खण्ड (ख) में, “10 रु. फीस” शब्द और अंको के स्थान पर “100 रु. फीस” शब्द और अंक रखें जाएंगे।

5. उक्त नियम में, नियम 36 के, उप-नियम (2) में, “10 रु.” शब्दों और अंक के स्थान पर “100 रु.” शब्द और अंक रखे जाएंगे।

6. उक्त नियम में, नियम 37 के, उप-नियम (2) में, “तीन केलेण्डर वर्ष के लिए” शब्दों के स्थान पर “10 केलेण्डर वर्ष के लिए” शब्द रखें जाएंगे।

7. उक्त नियम में, नियम 42 के, उप-नियम (2) में, खण्ड (iii) में, “10 रु. फीस” शब्दों और अंको के स्थान पर “100 रु. फीस” शब्द और अंक रखें जाएंगे।

8. उक्त नियम में, नियम 43 के, उप-नियम (2) में, “10 रु. फीस” शब्दों और अंको के स्थान पर “100 रु. फीस” शब्द और अंक रखें जाएंगे।

9. उक्त नियम में, नियम 44 का लोप किया जाएगा।

10. उक्त नियम में, नियम 45 के, उप-नियम (2) में, “10 रु. फीस” शब्दों और अंको के स्थान पर “100 रु. फीस” शब्द और अंक रखें जाएंगे।

11. उक्त नियम में, नियम 46 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्;

“46(1) इन नियमों के अधीन मुख्य नियंत्रक या नियंत्रक को संदेय सभी फीस का संदाय ई-संदाय के माध्यम से या गैर-कर रसीद पोर्टल (भारत कोष) के माध्यम से किया जाएगा।

(2) इन नियमों के अधीन जिला प्राधिकारी या किसी अन्य प्राधिकारी को संदेय फीस ऐसी रीति में संदेय की जाएगी जो उस प्राधिकारी द्वारा यथाविनिर्दिष्ट हो”;

12. उक्त नियम में, अध्याय 7 के, नियम 49 में, उप-नियम (1) में, खण्ड (क) में, "तुरंत तार द्वारा (तार का पता एक्सप्लोसिव्स, नागपुर)" शब्दों के स्थान पर “ईमेल: explosives@explosives.gov.in द्वारा” शब्द रखें जाएंगे।

13. उक्त नियम में, पहली अनुसूची में, अनुच्छेद संख्या 1 में, शीर्ष "फीस" के अधीन "रु. 25" शब्दों और अंको के स्थान पर "रु. 250" शब्द और अंक रखे जाएंगे।

14. उक्त नियम की, पहली अनुसूची में, अनुच्छेद संख्या 2 के, स्तंभ 5 में, शीर्ष "फीस" के अधीन "प्रथम 500 कि.ग्रा. के लिए 25 रु. और प्रत्येक अतिरिक्त 500 कि.ग्रा. या उसके भाग के लिए 10 रु. किन्तु यह प्रत्येक कलेंडर वर्ष या उसके भाग के लिए 1500 रु. अधिकतम के अधीन रहते हुए होगा" शब्दों और अंकों को "प्रथम 500 कि.ग्रा. के लिए रु. 250 और प्रत्येक अतिरिक्त 500 कि.ग्रा. या उसके भाग के लिए रु. 100 किन्तु यह प्रत्येक कलेंडर वर्ष या उसके भाग के लिए रु. 15,000 अधिकतम के अधीन रहते हुए होगा" शब्द और अंक रखे जाएंगे।

15. उक्त नियम की, दूसरी अनुसूची में, प्ररूप I के, नियम 4 में,:-

(क) "टेलीग्राफ का पता”, शब्दों के स्थान पर “अक्षांश और देशांतर” शब्द रखें जाएंगे।

(ख) “टेलेक्स” शब्द के स्थान पर “ईमेल पता:" शब्द रखें जाएंगे।

16. उक्त नियम में, प्ररूप II की, शर्त में, क्रम संख्या 15 के पश्चात, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

“कैल्शियम कार्बाइड की प्राप्ति और बिक्री का खाता

अनुज्ञप्ति संख्या

टिप्पण : इस रिकॉर्ड को अद्यतित रखा जाए। प्रविष्टियां दैनिक रूप से और जब भीकैल्शियम कार्बाइड कीप्राप्ति या बिक्री हो तब की जानी चाहिए।

तारीख	प्रारंभिक शेष कि.ग्रा. में	प्राप्त कार्बाइड कि.ग्रा. में	पैकेज काप्रकार और संख्या	आपूर्तिकर्ताका नाम, पता और अनुज्ञप्ति संख्या	बिक्री किया गया कार्बाइडकि.ग्रा. में	पैकेजेस केप्रकार और संख्या	उन व्यक्तियों के नाम, पता और अनुज्ञप्ति संख्या जिन्हें कार्बाइड बेचा गया	जमा शेष	अनुज्ञप्तिधारी के हस्ताक्षर	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

17. उक्त नियम में, प्ररूप III की, शर्त में क्रम संख्या 15 के पश्चात, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा अर्थात्:

"कैल्शियम कार्बाइड की प्राप्ति और बिक्री का खाता

अनुज्ञप्ति संख्या

टिप्पण: इस रिकॉर्ड को अद्यतित रखा जाना चाहिए। प्रविष्टियां दैनिक रूप से और जब भी कैल्शियम कार्बाइड की प्राप्ति या बिक्री हो तब की जानी चाहिए।

तारीख	प्रारंभिक शेष कि.ग्रा. में	प्राप्त कार्बाइड कि.ग्रा. में	पैकेज काप्रकार और संख्या	आपूर्तिकर्ताका नाम, पता और अनुज्ञप्ति संख्या	बिक्री किया गया कार्बाइडकिग्रा में	पैकेजेस केप्रकार और संख्या	उन व्यक्तियों के नाम, पता और अनुज्ञप्ति संख्या जिन्हें कार्बाइड बेचा गया	जमा शेष	अनुज्ञप्तिधारी के हस्ताक्षर	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

[फा. सं. पी-13013/1/2021-इएक्सपीएल]

सुमिता डावरा, अपर सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 105(अ), तारीख 18 फरवरी, 1987 द्वारा मूल नियम प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 109(अ) तारीख 28 फरवरी, 1990, अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 647(अ) तारीख 20 अगस्त, 2015 और अधिसूचना संख्या सा.का.नि.1094(अ) तारीख 8 नवंबर, 2018 द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department for Promotion of Industry and Internal Trade)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st August, 2021

G.S.R. 610(E).—Whereas, the draft rules to amend the Calcium Carbide Rules, 1987, were published as required by Sub-Section 2 of Section 29 of the Petroleum Act 1934 (30 of 1934), vide Notification number, G.S.R. 259(E), dated the 26th March, 2021 in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of thirty days from the date on which the notification was made available to the public;

And whereas, the said notification was made available to the public on the 26th March, 2021;

And whereas, objection and suggestions received from the public on the said draft rules have been duly considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 4 of the Petroleum Act, 1934 (30 of 1934), the Central Government thereby makes the following rules to amend the Calcium Carbide rules, 1987, namely: -

1. (1) These rules may be called the Calcium Carbide (Amendment) Rules, 2021

   (2) These shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.
2. In the Calcium Carbide Rules, 1987 (herein after referred to as the said rules), in rule 31, in sub-rule (1), for the words, “maximum of three years” the words, “maximum of ten years” shall be substituted.
3. In the said rules, in Rule 34, in sub-rule (1)(b), for the words and figure “a scrutiny fee of Rs. 10” the words and figures “a scrutiny fee of Rs. 100” shall be substituted.
4. In the said rules, in Rule 35, in sub-rule (2) in clause (b), for the words and figure “a fee of Rs. 10”, the words and figures, “a fee of Rs. 100” shall be substituted.
5. In the said rules, in Rule 36, in sub-rule (2), for the words and figure “Rs. 10” the words and figures, “Rs. 100” shall be substituted.
6. In the said rules, in Rule 37, in sub- rule (2), for the words “for three calendar years” the words “for ten calendar years” shall be substituted.
7. In the said rules, in Rule 42, in sub-rule (2) in clause (iii), for the words and figures “a fee of Rs. 10” the words and figures, “a fee of Rs. 100” shall be substituted.
8. In the said rules, in Rule 43, in sub-rule (2), for the words and figures “A fee of Rs. 10” the words and figures, “A fee of Rs. 100” shall be substituted.
9. In the said rules, rule 44 shall be omitted.
10. In the said rules, in Rule 45 in sub-rule (2), for the words and figure “a fee of Rs. 10” the words and figures, “a fee of Rs. 100” shall be substituted.
11. In the said rules, for rule 46, the following rule shall be substituted, namely:-

    “46 (1)All fees payable under these rules to the Chief Controller or Controller shall be paid through e-payment or through Non Tax Receipt Portal (Bharat Kosh)

    (2) fees payable to District Authority or any other authority under these rules shall be paid in such a manner as may be specified by that authority”;
12. In the said rules, in Chapter VII, in the rule 49, in sub-rule (1) in clause (a), for the words “by an express telegram (Telegraphic Address: Explosives, Nagpur) the words “by an email: explosives@explosives.gov.in” shall be substituted.
13. In the said rules, in the First Schedule, in Article No 1, in column 5 under the heading “Fees” for the words and figures “Rs. 25” the words and figures “Rs. 250” shall be substituted;
14. In the said rules, in the First Schedule, in Article No. 2, in column 5 under the heading “Fees” for the words and figures “Rs. 25 for the first 500 Kgs plus Rs. 10 for every additional 500 Kgs or part thereof, subject to maximum of Rs. 1,500 per calendar year” the words and figures “Rs. 250 for the

first 500 Kgs plus Rs. 100 for every additional 500 Kgs or part thereof, subject to maximum of Rs. 15,000 per calendar year" shall be substituted.

15. In the said rules, in Second Schedule, in Form I in Rule 4,:-

a. For the words, "Telegraphic address", the words, "Latitude and Longitude", shall be substituted;

b. For the words, "Telex", the words, "Email address" shall be substituted.

16. In the said rules, in Form II, in Condition, after serial number 15, the following shall beinserted, namely:-

"Account of Receipt and Sale of Calcium Carbide

License No

Note: This record should be kept up to date. Entries should be made daily and as and when Calcium Carbide is received or sold.

Date	Opening Balance Kgs	Carbide received Kgs	Type and No. of packages	Name, address & license No. of supplier	Carbide sold Kgs	Types & No. of packages	Name, address & License No. of persons to whom Carbide was sold	Closing Balance	Sign of licensee	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

."

17. In the said rules, in Form III, in Condition after serial number 15, the following shall be inserted, namely:-

"Account of Receipt and Sale of Calcium Carbide

License No.

Note: This record should be kept up to date. Entries should be made daily and as and when Calcium Carbide is received or sold.

Date	Opening Balance Kgs	Carbide received Kgs	Type and No. of packages	Name, address & license No. of supplier	Carbide sold Kgs	Types & No. of packages	Name, address & License No. of persons to whom Carbide was sold	Closing Balance	Sign of licensee	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

."

[F. No. P-13013/1/2021-Expl.]

SUMITA DAWRA, Addl. Secy.

Note : The principal rule were published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub section (i), *vide* notification number, G.S.R. 105(E) dated the 18th February, 1987 and subsequently amended *vide* notification number G.S.R. 109(E) dated the 28th February, 1990, notification number G.S.R. 647(E) dated the 20th August, 2015 and notification number G.S.R. 1094(E) dated the 8th November, 2018.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2021.09.01 22:27:26 +05'30'